

(7)

(3)

173

47

बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

एस० ओ० ४। रा० ८० चूँकि इसके साथ अनुबद्ध तालिका के स्तम्भ १ में उल्लिखित भू-धारक द्वारा धारित भूमि के संबंध में बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम (बिहार लेण्ड रिफॉर्मर्स फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया एण्ड एक्वीजिशन ऑफ सरप्लस लैण्ड) १९६१ (बिहार अधिनियम, १२, १९६२) की धारा-११ के उप-धारा (१) के अधीन विवरण अंतिम रूप में प्रकाशित हो चुका है,

और, चूँकि, उक्त विवरण के उक्त तालिका में स्तम्भ-२ से ६ तक में वर्णित भूमि अधिशेष भूमि के रूप में दिखायी गयी है,

इसलिए, अब, उक्त अधिनियम की धारा-१५ की उप-धारा (१) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ, उक्त अधिशेष भूमि जो लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, अर्पित करते हैं।

तालिका

अधिशेष भूमि का ब्योरा

भूधारी का नाम, पिता का नाम और पता।	गाँव	खाता न०	प्लॉट न०	क्षेत्रफल	अभ्युक्ति
				एकड़-डिसमल	
१	२	३	४	५	६

श्रीमति गौड़ीवाला देवी
जो० स्व० श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह
सा० सियादत्तपुर थाना-परवत्ता
जिला—मुँगेर

पटपरतैरूपा

८४

६०

६०८

६०९

०-०१

४-४२

कुल रकवा-४-४३ एकड़

(चार एकड़ तैतालिस बीसमील) मात्र

सं० सं०-६। सी० २०-०६।८०

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० (शिव प्रिय)

सरकार के संयुक्त सचिव।

(१५)

(५)

बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

दिनांक २७-८-८०

एस० ओ० अधिसूचना संख्या ४-रा-८० दिनांक २७-८-८० का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

(संचिका संख्या ६, सीलिंग-२०-६-८०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० शिव प्रिय

सरकार के संयुक्त सचिव।

NOTIFICATION

Dated 27-8-80

S. O 4-R-80 WHEREAS a statement under sub section (1) of Section 11 of the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961 (Bihar Act 12 of 1962) with regard to the Land held by the land holder mentioned in column 1 of the Table here to annexed has been finally published.

And here is in the said statement the land described in column 2 to 6 of the said Table have been shown as surplus land. NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 15 of the said Act, the Governor of Bihar is pleased to acquire for the purpose of the said Act, the said surplus land which is required for public purposes.

(5)

74

153

TABLE
DETAILS OF SURPLUS LAND.

Name of the land holders and his father's name and address.	Village	Khata No.	Plot No.	Area	Remarks
				Acra. Dec.	
1	2	3	4	5	6

Smti Gauribala devi

Patpar

84

608

0.01

49

W/o Late Shri Rameshwar

Terntha

90

609

4.42

Pd. Singh.

Village—Siaduttpur

P. S. Parbatta

Dist Monghyr.

Total:-- 4.43 acres.

(Four acres & fortythree dec.)

File No. 6/C-20—06/20

BY Order of the Governor of Bihar

Sd Shiva Priya) 21-8-80

Joint Secretary to Govt.

बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

दिनांक २७-८-८०

एस० ओ० धारा ८० चूँकि इसके साथ अनुबद्ध तालिका के स्तम्भ-१ में उल्लिखित भू-धरक द्वारा धारित भूमि के सम्बन्ध में बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम (बिहार लेण्ड रिफोर्स फिक्सेशन आफ सीलिंग एरिया एण्ड एक्वीजिशन आफ सरप्लस लेण्ड) १९६१ (बिहार अधिनियम. १२, १९६१) की धारा-११ के उपधारा (१) के अधीन विवरण अन्तिम रूप में प्रकाशित हो चुका है।

और, चूँकि, उक्त विवरण के उक्त तालिका में स्तम्भ २ से ६ तक में अर्जित भूमि अधिशेष भूमि के रूप में दिखायी गयी है।

इसलिए, अब, उक्त अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राजस्व उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उक्त अधिशेष भूमि जो लोक के प्रयोजन लिए अपेक्षित है अर्पित करते हैं।

